उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खण्डेला (सीकर)

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खण्डेला (सीकर)

ालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, खण्डेला बनाम अशोक वगै०

ुकदमा वादपत्र u/s धारा 177 R.T. Act मुकदमा नं. 01 सन् 2019

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	02/12/19 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 26/12/19 को पेश हो। (sd.)	
	26/12/19 पत्रावली पेश हुई ~~वकील~~ प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण समस्त को तामिल सम्मन स्वयं से होकर लेकिन बावजूद सम्मन तामिल अनुपस्थित रहे। अतः इनको बार-बार आवाजें दिलायी गयी बावजूद आवाजें अनुपस्थित रहे अतः समस्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वास्ते बहस मिसल दिनांक 3/1/20 को पेश हो। (sd.)	
	3/1/20 पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। बहस प्रार्थी तहसीलदार खण्डेला की सुनी	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	गयी। दौरान बहस भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवाद ग्रस्त आराजी ख०न० 764 रकबा 4.19 हे० तन ग्राम लाखनी की किस्म बारानी दर्ज है। उक्त भूमि पर मकान व बाड़े बनाकर कृषि भूमि का आबादी के रूप में काम में लिया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन कर लिया है। अतः उक्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे।
	हमने बहस प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला की सुनी तथा उन पर सम्यक मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का एवं गिरदावर तथा सरपंच ग्राम पंचायत लाखनी द्वारा दिनांक 27/11/19 को संयुक्त रूप से की गयी फर्द मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से एवं राजस्व रिकॉर्ड की तुलना करने से उक्त विवादित आराजी ख०न० का वर्तमान में अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग होना पाया जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होना साबित होता है।

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि:-

निर्णय

तन ग्राम लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान के कृषि भूमि ख०न० 764 रकबा 5.19 हे० में खातेदारों के खातेदारी समाप्त कर उक्त ख०न० सम्पूर्ण को सिवायचक घोषित करते हुए भूमि को ग्राम पंचायत लाखनी को आबादी विस्तार हेतु आवंटित किये जाने हेतु सेट अपार्ट की जाती है। तहसीलदार खण्डेला को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा के जमा हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रणजीत सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner